न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 27301 / 2003 / जोधपुर

1— घेवरराम पुत्र मोतीराम जाति जाट

2— जयरूप पुत्र मोतीराम जाति जाट

3— गोपाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट

निवासीगण साथीन, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

—अपीलांटस

बनाम

1— मु0 रूपी बेवा फूताराम जाति जाट

2— हिन्दूराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट

3— सोहनराम पुत्र भभूतराम जाति जाट

4— ओमाराम पुत्र मन्दरूपराम जाति जाट

समस्त निवासीगण साथीन, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

5— राजस्थान सरकार।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः—

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांटस

श्री वी0एस0 राठौड़, अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः— 29.07.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 34 / 2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी / रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलांट व शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम साथीन तहसील भोपालगढ़ में स्थित

वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1688 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा भूमि स्थित है, जिसके वे रिकार्डेड खातेदार है तथा इस भूमि पर उनका कब्जा काश्त है, किन्तु प्रतिवादीगण उन्हें उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2001 द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2002 द्वारा खारिज कर दिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के एडमिशन पर सुनी ।

4— अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । राजस्व रिकार्ड में विवादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज है। विवादग्रस्त भूमि कृषि योग्य नहीं होने से एवं रहवासीय उपयोग की एवं कृषि के अलावा उपयोग की होने से बाड़े संबंधी विवाद को राजस्व न्यायालय को निर्णित करने का अधिकार नहीं था। बाड़े का विवाद एक प्रकार से संपत्ति का विवाद होने से इसका निर्णय केवल दीवानी न्यायालय ही कर सकता है। विचारण न्यायालय ने वाद के तथ्यों व सार को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, जिसे अनदेखा करते हुए विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन बाड़ा है जिस पर अधिकार मिलकियत का होता है न कि खातेदारी का। बाड़े के हस्तांतरण के लिए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और जहां राज0काश्त0अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उसको खातेदारी की भूमि नहीं मानी जा सकती। तनकी संख्या 1 का निर्णय परवर्श है

एवं वादी/रेस्पो0 का वाद निर्णित करने के लिए तनकी संख्या 1 कोई महत्व नहीं रखती है। तनकी संख्या 2 कब्जे के संबंध में है, जो साक्ष्य से वादी/रेस्पो0 का कब्जा साबित नहीं होता है। विचारण न्यायालय का यह मानना कि प्रतिवादीगण के गवाहान ने बाड़े पर वादी का कब्जा माना है, उन्होंने प्रतिवादीगण के गवाहान के बयान को पढ़ने में भूल की है। दोनों अधी0न्याया0 के निर्णय उपलब्ध साक्ष्य से मेल नहीं खाते हैं और न ही उन पर आधारित है। जब वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर काबिज ही नहीं है तो विचारण न्यायालय को अपीलांटस के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के विपरीत डिक्री पारित करने का अधिकार नहीं था। दोनों अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को विचारण न्यायालय को उसी माफिक निर्णित करना था जिस प्रकार से प्रतिवादी के क्रॉसशूट का। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को विचारण न्यायालय को इस प्रकार मानते हुए निर्णित करना चाहिए था जैसा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावों को एकजाई कर दोनों दावों में तनकीयात कायम करना चाहिये था। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर न तो कोई तनकी कायम की गई, न साक्ष्य ली गई। जिसके अभाव में विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 ए व 6 बी की पालना नहीं करते हुए काउंटर क्लेम को खारिज करने का अधिकार विचारण न्यायालय को नहीं था। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2002 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.01.2002 को निरस्त किया जावें तथा वाद वादीगण संख्या 1 व 2 खारिज किया जावें तथा साथ ही अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम वादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावें।

5— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । योग्य अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउंटर क्लेम मियाद बाहर था, अतः उस पर कोई कार्यवाही होनी ही नहीं चाहिए थी, फिर भी अधी0न्याया0 ने अपने विचाराधीन निर्णय में स्पष्ट कर दिया

है कि तनकी संख्या 3 में अपीलांटस अपने एडवर्स पजेशन की बात सिद्ध कर सकते थे तथा तनकी संख्या 1 व 2 में भी एडवर्स पजेशन की बात शामिल हो जाती है, इसके लिए अलग से तनकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि अधिवक्ता अपीलांट अलग से कोई तनकी चाहते थे तो उन्हें तनकीयात बनाते समय इस संबंध में एतराज करना चाहिए था, अब इतने विलंब बाद यह कथन नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व गवाहों का पूर्ण विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। काउंटर क्लेम स्पष्ट रूप से निरस्त किया गया है अतः यहां यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने काउंटर क्लेम पर विचार नहीं किया। काउंटर क्लेम में एडवर्स पजेशन की बात ही कही गई थी। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से फाईडिंग दी है कि प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है तथा तनकी संख्या 3 के द्वारा प्रतिवादीगण को यह सिद्ध करना था कि वे विवादित बाड़े पर जागीर के समय से जागीरदार द्वारा जारी पट्टे के जारी होने के समय से लगातार काबिज है, जो वे सिद्ध नहीं कर पाए। जब कब्जा ही सिद्ध नहीं कर पाए तो एडवर्स पजेशन का प्रश्न ही नहीं उठता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

8— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4/वादीगण ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़शहर के समक्ष अपीलांटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम साथीन तहसील भोपालगढ़ स्थित खसरा नंबर 1688 रकबा 5 बीघा बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त बाड़ा वादीगण के कब्जाशुदा है जिसके चारों तरफ कांटो की बाड़ की हुई है जिसको वादीगण अपने मवेशियों को बांधने, चारा—पुला आदि रखने के उपयोग में लेते है । प्रतिवादीगण उक्त बाड़े की भूमि को बिना किसी अधिकार हड़पना चाहते है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर

प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि विवादित खसरा नंबर 1688 गै0मु0 बाड़े का कब्जा वक्त जागीर से प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के कब्जाशुदा बाड़े के बारे में वादीगण ने लड़ाई झगड़ा किया तो वादीगण के विरूद्ध थाना, पीपाड़शहर में एक एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गई। साथ ही काउन्टर वाद पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 1688 रकबा करीब पांच बीघा वक्त जागीरी से 10 बीघा 1584 वर्ग गज पाड़ौस अगुण में तालाब का नाव, आथूण में राम का बिडा, उत्तर में नाडी का मार्ग, दक्षिण में देवला का जाव आया हुआ है । दिनाकि 01.01.1948 को जागीरी नोटिस भी प्राप्त हुआ है । प्रतिवादीगण का वक्त जागीरी से कब्जा निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक चले आने से उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादीगण मालिकाना हक प्राप्त करने की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे । विचारण न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर दादरसी सहित कुल 6 तनकीयात कायम की । तनकी संख्या 1 यह कायम की गई थी कि – ''आया विवादित खसरा नंबर 1688 का वादी पक्ष खातेदार है?– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था ।

वादी ने उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु प्रदर्श पी–1 जमाबंदी संवत् 2050 से 2053, प्रदर्श पी–2 नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये । विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रदर्श पी–1 जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 के अनुसार खसरा नंबर 1688 के खातेदार वादीगण होना साबित होते है । अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है । हम विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष से सहमत है क्योंकि एक खातेदार काश्तकार स्वंय की खातेदारी भूमि में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना अधिकार हस्तक्षेप किये जाने पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है ।

9– तनकी संख्या 2 विवादित भूमि पर कब्जे बाबत् कायम की गई थी । इस तनकी को सिद्ध कराने हेतु वादीगण ने गवाहों के बयान कराये है जिन्होंने अपने बयानों में विवादित भूमि पर प्रारंभ से वादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है । इसी प्रकार प्रतिवादीगण के गवाह डी0डब्ल्यू0 43 घमण्डाराम ने भी ने विवादित भूमि पर कब्जा वादी रूपी का का जिरह में होना बताया है । उपरोक्त गवाहों के बयानों से भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का

प्रमाणित पाये जाने पर विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की है । इसी प्रकार तनकी संख्या 3 के संबंध में स्वंय प्रतिवादी घेवरराम ने जिरह में स्वीकार किया है कि पट्टे में खसरा नंबर एवं नाप का हवाला नहीं है । प्रतिवादीगण ने उक्त पट्टे की दस्तावेजी साक्ष्यों से पुष्टि नहीं की है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टा उन्हें को सहायता प्रदान नहीं करता है । उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद खारिज किया है । विचारण न्यायालय का उक्त निर्णय विधिसम्मत् है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते हैं।

10— उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है ।

11— परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2002 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़शहर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2001 यथावत् रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य